



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25012022-232895
CG-DL-E-25012022-232895

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 336]
No. 336]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 25, 2022/माघ 5, 1943
NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 25, 2022/MAGHA 5, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(विदेश व्यापार महानिदेशालय)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 25 जनवरी, 2022
सं. 51/2015-2020

विषय:— मनुष्यों के बाल की निर्यात नीति में संशोधन।

का.आ. 344(अ).—विदेश व्यापार नीति, 2015-20 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित यथा-संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या 22) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा मनुष्यों के बाल के निर्यात से संबंधित आईटीसीएचएस निर्यात नीति की अनुसूची-2 के अध्याय 05 में निम्नलिखित संशोधन करती है:

क्रम संख्या	आईटीसी एचएस कोड	विवरण	वर्तमान नीति	संशोधित नीति
38बी	0501	मनुष्यों के बाल, असुसज्जित, धुले हुए साफ किए हुए अथवा नहीं, मनुष्यों के बालों के अपशिष्ट	मुक्त	प्रतिबंधित

2. इस अधिसूचना का प्रभाव:

आईटीसी (एचएस) कोड 0501 के तहत मनुष्यों के बाल, असुसज्जित, धुले हुए साफ किए हुए अथवा नहीं, मनुष्यों के बालों के अपशिष्ट अथवा अन्य किसी भी रूप में अपरिष्कृत मनुष्यों के बाल की निर्यात नीति को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है।

[फा.सं. 01/91/171/34/एम19/ईसी/ई-20669]

संतोष कुमार सांरगी, महानिदेशक विदेश व्यापार
और पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th January, 2022

No. 51 /2015-2020

Subject: - Amendment in Export Policy of Human Hair

S.O. 344(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 read with section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992), as amended, read with Para 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-20, the Central Government hereby makes following amendment in Chapter 05 of the Schedule 2 of the ITC HS Export Policy related to export of human hair:

S.No.	ITC HS Codes	Description	Present Policy	Revised Policy
38B	0501	Human hair, unworked, whether or not washed or scoured; waste of human hair:	Free	Restricted

2. Effect of this Notification:

The export policy of human hair, unworked, whether or not washed or scoured; waste of human hair or any other form of raw human hair under ITC (HS) Code 0501 has been put under restricted category, with immediate effect.

[F. No. 01/91/171/34/AM19/EC/E-20669]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade
& Ex-Officio Addl. Secy.